पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए

कोटेशन का आंमत्रण

पुछताछ संख्या	: प्रषासन/सामान्य/03/2021.एम्स.जेडीएच
पूछताछ जारी करने की तिथि	: 30 सितम्बर 2021
जमा करने की अंतिम तिथि	: 06 अक्टूबर 2021 अपराह्न 03.00 बजे ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज –।। जोधपुर –342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291–2740741, ईमेलः procurement@aiimsjodhpur.edu.in

www.aiimsjodhpur.edu.in

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए कोटेषन का आमंत्रण एम्स जोधपुर

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेषन आमंत्रित किए जाते हैं। पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए नियम एंव षर्तो एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवष्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हूए कोटेषन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17. 09.2021 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेषन को उचित लिफाफें में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए– " पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए कोटेषन "

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच 06.10.2021 को अपराह्न 03. 00 बजे

1. **नियम और षर्तेः–**

(क) निर्धारित सयम सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेषनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियॉ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेंदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैक्स/ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(ख) कोटेषन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेषक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेषक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेषन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेषन निर्धारित कोटेषन बॉक्स मे जो कि एम्स के प्रषासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोडा जाना अनिवार्य हैं।

(ग) पानी की बोतलों (प्लास्टिक) की दरों को भारतीय रूपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।

(घ) पानी की बोतलों (प्लास्टिक) की दरों को माल भाडा षुल्क, बीमा, स्थापना(स्टेषनरी स्टोर तक पहूॅचाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।

(ड) पानी की बोतलों (प्लास्टिक) की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट–छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता हैं तो कोटेषन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।

(च) पानी की बोतलों (प्लास्टिक) की दरें कोटेषन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दें पर किसी भी निविदा के उद्दरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।

(छ) एल–1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेष पाने का मानदंड नही होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।

(ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्दरण के साथ प्रस्तुत करना आवष्यक/अनिवार्य हैं।

(झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित षर्ते पूरा करने का स्व–सत्यापित प्रति उद्दरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है–

:– फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:– फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना ।

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

:– फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

(ञ) अस्पष्ट और अनिष्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्दरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेषन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सषर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।

(ट) पानी की बोतलों (प्लास्टिक) की आपूर्ति आदेष के 7 दिन के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य।

(ठ) परिसमापन क्षतिः– यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति करने में विफल रहता हैं तो प्रतिदिन 0.5 प्रतिषत की दर से या आपूर्ति आदेष मुल्य के अधिकतम 10 प्रतिषत जुर्माना लगाया जायेगा।

(ड) भुगतान षर्तें :– संतोषजनक आपूर्ति के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।

(ढ) विवाद :– फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याषर्तों की व्याख्या के सबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेषक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्दरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेषन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

2. <u>नियम और षर्तें :–</u>

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देषों के अनुसार उत्पाद का उद्दरण देना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के नमूनों को कोटेषन डालने के साथ प्रषासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होगे नमूनों के जमा नहीं कराने की स्थिति में कोटेषन को निरस्त माना जायेगा। तथा नमूनों के प्रदर्षन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय समिति द्वारा समग्र आधार पर किया जायेगा। जो कि अंतिम निर्णय होगा।

उप–निदेषक(प्रषासन)

संलग्नः– अनुलग्नः 1. विनिर्देष अनुबंध
2. मूल्य बोली का प्रारूप

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

अनुलग्नः 1. विनिर्देष अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	मात्रा	विशेष विवरण
1	पानी की बोतलों (प्लास्टिक)	Nos.	100	Milton 1Ltr. (बोतलों (प्लास्टिक) के नमूने भण्डार कक्ष में उपलब्धता के अनुसार)

नोटः– आपूर्तिकर्ता को पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के नमूनों को प्रषासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होगे हैं। प्रदर्षन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

पुछताछ संख्याः प्रषासन/सामान्य/03/2021. एम्स. जेडीएच

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्नः 2
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप–निदेषक (प्रषासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैने/हमने.................................... पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए कोटेशन का आंमत्रण के लिए उद्दरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए कोटेशन का आंमत्रण प्रषासन /सामान्य/03/2021. एम्स.जेडीएच जमा करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2021 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।

2. मैने/हमनें पानी की बोतलों (प्लास्टिक) के लिए कोटेशन का आंमत्रण के नियमों और षर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया हैं तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्दरण अस्वीकार कर दिया जाए।

3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेषकष करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	मात्रा	मेक	दर बिना जीएसटी	जीएसटी कर	जीएसटी सहित दर	कुल राषि	एमआरपी
1	पानी की बोतलों (प्लास्टिक)	Nos.	100	Milton 1Ltr.					

नोटः– बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में की अपना कोटेषन उद्धृत करना हैं अन्यथा कोटेषन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक......................................नाम.......................................

स्थान..

फर्म/एजेंसी का नाम...

जीएसटीआईएन नंबर...

बैंक का नाम..

बैंक खाता नम्बर...

आईएफएससी कोड...

षाखा का नाम...

फोन नंबर...

ईमेल...

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प)...........................